


फर्द अहकाम
 बन्नाम फूलाराम को

नाम न्यायालय

केस संख्या

116/2010

T.I

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
	27/12/17	कानून द्वारा आज कर्तव्य/कार्य स्थापित रहे जाने से पचावती यह आज्ञानुसार दिनांक 11/2/18 को पेश हो। 
	14/2/18	ब.क. उपर कक्ष हेतु समय-पाठने की पत्रावली का कक्ष दिनांक 15/3/18 को पेश हो।
	15/3/18	ब.क. उपर कक्ष हेतु समय-पाठने की पत्रावली का कक्ष दिनांक 28/3/18 को पेश हो।
	28/3/18	कानून द्वारा आज कर्तव्य/कार्य स्थापित रहे जाने से पचावती यह आज्ञानुसार दिनांक 11/4/18 को पेश हो।
	11/4/18	ब.क. उपर कक्ष हेतु समय-पाठने की पत्रावली का कक्ष दिनांक 16/5/18 को पेश हो।
	16/5/18	प्रसाइडिंग कॉफीसर चौर/अवकाश पर है। अतः अग्रिम कार्यवाही हेतु दिनांक 20/6/18 को पेश हो।
	20/6/18	आज यह पत्रावली न्याय आपके द्वार कक्ष कोरे गाम मंगल काल में पेश हुई। आधी रात सं. 2 बजे उपर प्रकरण में सुना गया तथा पत्रावली का उपलब्ध कर किया गया। पत्रावली का प्रमुख को कक्ष नं. 1 हेतु समित यली आ रही है कक्ष वाद दुकाली कोषणा व स्थार विधेयासा को हेतु

अ. वि. लाल
 अ. वि. लाल




फर्द अहकाम

सुदी काँठ

बनाम फूलाराम काँठ

नाम न्यायालय

केस संख्या 116/2010

च. न.

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
		<p>मूल वाद साक्ष्य के स्तर पर जैरकार थे प्रमाण में 'अलरिम' आस्थाई विषेधाज्ञा जारी नहीं की हुई थी प्रमाण में 'अब न्यायालय अभिसत में 'अलरिम' विषेधाज्ञा जारी करना उचित नहीं समझते थे अब प्रमाण आस्थाई विषेधाज्ञा जारी करने से वाद का दुलता बंद का अंदेशा है प्रमाण के मूल वाद में साक्ष्य उपरांत गुणागुण व मेरिट पर निर्णय किया जाना है अतः उपरोक्त विवेचन अनुसार आपत्र आस्थाई विषेधाज्ञा स्वीकृत किया जाना में परमती कसल शुमार ठेका दर्ज नम्बर से कम है तथा मूल वाद के साचरे में</p>	